



राजस्थान राज्य सूचना आयोग

झालाना लिंक रोड, ओ.टी.एस. चौराहा, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर

अपील संख्या: - 977/2018

अपीलार्थी

रामस्वप गुर्जर
अवधपुरी ई ब्लॉक लालकोठी योजना
जयपुर, राजस्थान

बनाम

प्रत्यर्थी

राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं
अधिशायी अभियंता
जनस्वास्थ्य अभियंत्रिकी विभाग,
नगर खण्ड (प्रथम) दक्षिण, गांधी
नगर जयपुर

द्वितीय अपील अन्तर्गत धारा 19(3) सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

निर्णय

दिनांक : 21-03-2018

1. अपीलार्थी की ओर से श्री आर. एस. बंसीवाल, वकील उपस्थित।
2. प्रत्यर्थी पक्ष से श्री संदीप चौधरी, सहायक अभियन्ता उपस्थित।
3. मैंने उभय पक्ष को सुना एवं पत्रावली का विशद परिशीलन किया।
4. अपीलार्थी के आवेदन दिनांक 21-06-2017 के द्वारा अधिशायी अभियन्ता जन स्वास्थ्य अभियंत्रिकी विभाग (द) द्वारा प्रार्थी को प्रेषित कारण बताओं नोटिस के संबंध में 2 बिन्दुओं की सूचना चाही गई थी। सूचना नहीं मिलने एवं प्रथम अपील विनिश्चयविहीन रहने के आक्षेप पर हस्तगत अपील प्रस्तुत की गई है।
5. सुनवाई के दौरान अपीलार्थी ने बताया कि अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना उपलब्ध नहीं कराई गई है। प्रत्यर्थी ने निवेदन किया कि वांछित सूचना पत्र दिनांक 20-07-2017 से उपलब्ध करा दी गई है। प्रथम अपील पेश करने पर निर्णय दिनांक 16-10-2017 द्वारा सूचना को प्रदत्त माना जाकर अपील निस्तारित की गई है। सूचना दिया जाना शेष नहीं होना बताया। प्रत्यर्थी ने बताया कि इसी आवेदन के बाबत द्वितीय अपील संख्या 958/2018 आयोग द्वारा इस अपील की सुनवाई से पूर्व सुनी जा चुकी है तथा खारिज करने का आदेश फरमाया गया है। अतः उसी के अनुरूप इसका निर्णय किया जावे तथा यह अपील विधि अनुसार पोषणीय नहीं है।
6. प्रत्यर्थी ने आयोग के नोटिस के संदर्भ में अपीलोत्तर दिनांक 27-02-2018 प्रस्तुत किया जिसकी प्रति अपीलार्थी को प्रेषित की गई है। जिससे उक्त पैरा

संख्या 5 में किये गये कथन की पुष्टि होती है। अपीलोत्तर के साथ पत्र दिनांक 20-07-2017, 06-07-2017, प्रथम अपील निर्णय दिनांक 16-10-2017 प्रस्तुत किया है।

7. अपीलार्थी के द्वारा प्रस्तुत इस अपील के आवेदन का प्रारूप तथा अपील संख्या 958/2018 के आवेदन का प्रारूप समान है। अतः यह अपील विधि अनुसार पोषणीय नहीं होने से खारिज की जानी समीचीन है।
8. अस्तु, वर्तमान अपील खारिज की जाती है।
9. निर्णय की प्रति उभय पक्ष को प्रेषित हो।
10. निर्णय घोषित।

(सुरेश चौधरी)
मुख्य सूचना आयुक्त